<u>संख्या 03 /2018/1994/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(54)/2011</u>

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 04 जनवरी,2018**

विषय- जनपद न्यायालय बलिया में निर्माणाधीन 04 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश स0-1351/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2011, दिनांक 05 नवम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय बलिया में निर्माणाधीन 04 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु रू0508.69 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ रू0254.35 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय बलिया में निर्माणाधीन 04 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0508.69 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि **रू0254.34 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख चौतीस हजार मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किय जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, कार्यदायी संस्था नामित है । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

[redacted] 2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा। पूर्व में स्वीकृत धनराशि से यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेग।

3- शासनादेश शासनादेश स0-1351/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2011, दिनांक 05 नवम्बर,2014की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

4- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 03 /2018/1994 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।

4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।

5- जनपद न्यायाधीश बलिया ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।

8- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।

9- वित्त ई- 12।

10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।